

पत्रांक-अ0सं0क0-03-07/2012.8.29.1

बिहार सरकार  
अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

प्रेषक,

रशीद अहमद  
सरकार के उप सचिव

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,  
अररिया, पूर्णियां, सीतामढ़ी, पश्चिम चम्पारण,  
किशनगंज, दरभंगा एवं कटिहार

पटना, दिनांक 6.7.15

विषय :- एम0एस0डी0पी0 के तहत ए0सी0 विपत्र के माध्यम से निकासी की गई राशि को पूर्व में प्रत्यार्पित कर चालान के माध्यम से जमा राशि के समतुल्य राशि के पुर्नआवटन के संबंध में ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि एम0एस0डी0पी0 के तहत ए0सी0 विपत्र के माध्यम से निकासी की गई अव्यवहृत राशि जो वित्तीय वर्ष 2015-16 से पूर्व कोषागार चालान के माध्यम से जमा कर डी0सी0 विपत्र जमा कि गई थी, उस प्रत्यार्पित राशि के समतुल्य राशि यदि पुर्नआवटित करना शेष रह गया है । उसकी विवरणी, कोषागार चालान की अभिप्रमाणित छायाप्रति सहित विभाग को शीघ्र उपलब्ध कराने की कृपा की जाये ताकि वित्त विभाग से सहमति प्राप्त कर प्रत्यार्पित राशि के समतुल्य राशि का पुर्नआवटन करने की कारवाई की जा सके ।

विश्वासभाजन

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक - 829

पटना, दिनांक 6.7.15

प्रतिलिपि- जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, अररिया, पूर्णियां, सीतामढ़ी, पश्चिम चम्पारण, किशनगंज, दरभंगा एवं कटिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के उप सचिव